प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.03.2021 जनपद देवरिया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 25000रू0 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.07.2020 को थाना कोतवाली पर वादी विरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सत्यनरायण विश्वकर्मा निवासी मुंसफ कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया द्वारा इस आशय की तहरीर उपलब्ध करायी गयी कि उसकी पुत्री के पति द्वारा उसे जान से मारने की नियत से चाकू मार दिया गया है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0- 412/20 धारा-307, 504, 506 भादसं का अभियोग अभियुक्त मदनलाल विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा निवासी – बागापार टोला- बरईठवा थाना-कोतवाली जनपद-महराजगंज के विरूद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। अभियुक्त जनपद देवरिया से 25,000रू0 पुरस्कार घोषित अभियुक्त है, जो दिनांक 07.07.2020 से वांछित चल रहा है। आज दिनांक 27.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, वरिष्ठ उ0नि0 कोतवाली मय टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर मुन्सफ कालोनी रामनाथ देवरिया के पास से अभियुक्त मदनलाल विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:

1. प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना कोतवाली जनपद देवरिया
2. वरिष्ठ उ0नि0 विपिन मलिक थाना कोतवाली जनपद देवरिया
3. उ0नि0 सुभाष चन्द्र पाण्डेय प्रभारी चौकी रेलवे रोड थाना कोतवाली जनपद देवरिया
4. हे0का0 इबरार अहमद थाना कोतवाली जनपद देवरिया
5. का0 अनिल कुमार थाना कोतवाली जनपद देवरिया